

परिवर्तन - 1
[26/2/2026]
प्र. सं. 1812

प्रश्न सं. [क. 1812]

72

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

धारा 116

प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश—

(क) संबंधित तहसीलदार से लिखित रिपोर्ट प्राप्त किये; और

(ख) सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए;

बिना पारित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि सरकार का हित निहित है तो उपखण्ड अधिकारी, मामला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन मामला प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसी जांच जैसी कि वह ठीक समझे, करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे ।]

116. ¹[विलोपित]

117. भू-अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा— भू-अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जायेगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय ।

118. ¹[विलोपित]

119. ¹[विलोपित]

120. नक्शे तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने में सहायता की अध्यपेक्षा. — इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अधधीन रहते हुए, कोई भी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, ²[नगर सर्वेक्षक] या पटवारी कोई नक्शा या रेखांक, जो इस अध्याय के अधीन किसी

pertaining to a period prior to five years without the sanction in writing of the Collector.

(2) No order shall be passed under sub-section (1) without-

(a) getting a written report from the Tahsildar concerned; and

(b) giving an opportunity of hearing to all parties interested:

Provided that where interest of Government is involved, the Sub-Divisional Officer shall submit the case to the Collector.

(3) On receipt of a case under sub-section (2), the Collector shall make such enquiry and pass such order as he deems fit.]

116. ¹[deleted.]

117. Presumption as to entries in land records.—All entries made under this Chapter in the land records shall be presumed to be correct until the contrary is proved.

118. ¹[deleted.]

119. ¹[deleted.]

120. Requisition of assistance in preparation of maps and record of rights. — Subject to rules made under this Code, any Revenue Officer, Revenue Inspector, ²[Nagar Sarvekshak] or Patwari may, for the purpose of

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप ।

2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.

2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग



(च) व्यपवर्तित की गयी भूमि के ब्यौरे ; और
(छ) कोई अन्य अभिलेख जो कि विहित किए जाएं।]

114-क. ¹[भू-अधिकार पुस्तिका.- (1) तहसीलदार, ऐसे प्रत्येक भूमिस्वामी को, जिसका नाम धारा 114 के अधीन तैयार किए गए खसरे में प्रविष्ट है, यथास्थिति, किसी ग्राम में के या सेक्टर में के उसके समस्त खातों के बारे में एक भू-अधिकार पुस्तिका, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस के, जो कि विहित की जाए, भुगतान करने पर उसे उपलब्ध कराएगा।]

(2) भू-अधिकार पुस्तिका दो भागों से मिलकर एक पुस्तक के रूप में आबद्ध होगी जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जो कि विहित की जाएं।]

(3) तहसीलदार स्वप्रेरणा से या भूमिस्वामी के आवेदन पर, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, भू-अधिकार पुस्तिका में किसी गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कर सकेगा।]

115. ²[भू-अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण .- (1) उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, भू अधिकार पुस्तिका तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर धारा 114 के अधीन तैयार किये गए भू अभिलेखों में अप्राधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को, ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां उसके द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी:

परन्तु कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी

(f) details of diverted land; and
(g) any other record as may be prescribed.]

114-A. ¹[Bhoon-Adhikar Pustika - (1) The Tashildar may provide to every Bhumiswami whose name is entered in the khasara prepared under section 114 a Bhoon-Adhikar Pustika in respect of his all holdings in the village or sector, as the case may be, which shall be provided to him in such Form and on payment of such fee as may be prescribed.

(2) The Bhoon-Adhikar Pustika shall consist of two parts bound as one book, which shall contain such particulars as may be prescribed.

(3) A Tahsildar may, on his own motion or on application of the Bhumiswami, after making such enquiry as he deems fit, correct any wrong or incorrect entry in Bhoon Adhikar Pustika.]

115. ²[Correction of wrong or incorrect entry in land record- (1) A Sub-Divisional Officer may, on his own motion or on application of an aggrieved person, after making such enquiry as he deems fit, correct any wrong or incorrect entry including an unauthorised entry in the land records prepared under section 114 other than Bhoon-Adhikar Pustika and record of rights, and such corrections shall be authenticated by him:

Provided that no action shall be initiated for correction of any entry

1. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Inserted by Act No. 23 of 2018.
2. Substituted by Act No. 23 of 2018.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

